ई–मेल द्वारा

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1208 /124व्यग–अधि0–उ0/2018 दिनांक– 30/11/2019

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या– 275/82व्यक–सा0/2018 दिनांक–31.01.2018 के द्वारा शासकीय पत्र संख्या–1855/III(1)/17–01(14)/अधि0/17 दिनांक–26.12.2017 के माध्यम से मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–217/XXX–2/2017/55(2)/17 दिनांक–06.07.2017 की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर कमेटी की संस्तुति/निर्णय के क्रम में यदि शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो तत्काल परीक्षण कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। साथ ही विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही में नियमानुसार समस्त विधिक पहलूओं/विद्यमान शासनादेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुए समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में शासकीय पत्र संख्या–1537/III(1)/19–01(14)/अधि0/17 दिनांक–30.10.2019 द्वारा भी प्रश्नगत प्रकरण में 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों का परीक्षण स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2911/82व्यक–सा0/2018 दिनांक–01.11.2019 के द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित करते हुए कार्मिकों द्वारा लिये गये अवकाश सम्बन्धी सूचना भी मांगी गयी है।

अवगत कराना है कि सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–131/कार्मिक–2/2002 दि0–20.02.2002 में कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि " ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न है:–

1– नियुक्ति प्राधिकारी– अध्यक्ष

2– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 02 वरिष्ठ अधिकारी– सदस्य।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के नियुक्ति प्राधिकारी निम्नानुसार हैं–

क्रम संख्या	पद नाम/संवर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणी
1	मिनिस्टीरियल संवर्ग(खण्डीय)	अधीक्षण अभियन्ता	–
2	मिनिस्टीरियल संवर्ग(वृत्तीय)	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	–
3	मिनिस्टीरियल संवर्ग(प्रमुख/मुख्य अभियन्ता), लेखाकार, सहायक लेखाकार, विधि सहायक	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	–
4	अमीन	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	–
5	वैयक्तिक सहायक संवर्ग	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	–

क्रमशः 2 पर

6	मानचित्रकार/कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभ्यिन्ता	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष	–
7	चालक संवर्ग	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/वि0/यां0)	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष में तैनात चालकों के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0), देहरादून। क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात चालकों के सम्बन्ध में गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0), देहरादून एवं कुमांऊ क्षेत्र के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0), हल्द्वानी।
8	समूह 'घ'	सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष	–
9	वर्क एजेन्ट, मेट	अधीक्षण अभियन्ता	–
10	सहायक अभियन्ता एवं उच्चतर तकनीकी पद/सहायक भूवैज्ञानिक	उत्तराखण्ड शासन	–

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ऐसे सरकारी सेवक जिनके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं अर्थात् प्रमुख अभियन्ता हैं, की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या–131/कार्मिक–2/2002 दिनांक–20.02.2002 **(प्रति संलग्न)** के अनुसार सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करते हुए अपने अधीनस्थ 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों का परीक्षण शासनादेशों के अनुरूप करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही 01 सप्ताह के भीतर किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्तानुसार कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को 10 दिन के अन्दर अवगत करायेंगें।

संलग्न– यथोपरि।

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनु सचिव, लो0नि0अनु0–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय–अधि0)/मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय–नियोजन/डिजाईन)/मुख्य अभियन्ता स्तर– ।(क्वालिटी कण्ट्रोल), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, ...।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, ...।
7. अधिशासी अभियन्ता (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र विभागीय वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ।/ ।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन क/ख/घ/कार्य प्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

IT Head

30.11.19

चन्दन सिंह जोशी
अधिशासी अभियन्ता

30/11/19

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

30.11.19

संख्या: 131 / कार्मिक-2 /2002

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग- 2 देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2002

विषय: सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।

महोदय,

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा 03 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैं :-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित
02 वरिष्ठ अधिकारी- सदस्य

(ख) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं :-

(अ) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में -

(1) प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अध्यक्ष

(2) विभागाध्यक्ष- सदस्य

(3) मुख्य सचिव - सदस्य

(4) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में :-

(1) मुख्य सचिव- अध्यक्ष

(2) प्रशासकीय विभाग के सचिव सदस्य

(3) सचिव, कार्मिक विभाग सदस्य

(5) (उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों सहित) के सम्बन्ध में :-

(1) मुख्य सचिव अध्यक्ष

(2) मुख्य राजस्व आयुक्त सदस्य

(3) सचिव, कार्मिक विभाग सदस्य

नोट:- (1) उत्तरांचल प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी ।

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर अपर सचिव प्रभारी अधिकारी है, तो अपर सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे ।

4. अस्थाई स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा- ---------- अथवा प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके स्वविवेक से उपयुक्त निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा-निवृत्ति आदेश पारित करेंगे । यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं, तो यथा अपेक्षा मुख्य मंत्री/सम्बन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश पारित किये जायेंगे ।

5. विचारणीय अभिलेख- अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने के लिए यद्यपि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की दक्षता/ सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए ।

6. कार्यवाही की समय-सारिणी-
----------§1§ स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा । वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, उनके विषय में सूचना सामग्री जहाँ से भी आती हो, समय से प्राप्त हो जाये ।

§2§ स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

§3§ यथासम्भव प्रतिवर्ष नवम्बर माह के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाये ।

§4§ स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा- आदेश नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी जाये । नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें ।

7. स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति -
---------- स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेटस नहीं होगा । ये केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिए कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं, जिनके मामले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सकें ।

8. मूल नियम 56 के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी किये जायें।

9. कार्मिक विभाग को सूचनायें देना-
---------- अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम से 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग-2 को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायी जाये § प्रतिलिपि संलग्न§

10. अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये ।

भवदीय,

§ मधुकर गुप्ता §
मुख्य सचिव

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना

वर्ष 200 -20

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग [illegible] के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे गये	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार के उपरान्त न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष—							
2	पी० सी० एस० संवर्ग—							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी—							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी—							
3	पी० सी० एस० संवर्ग के भिन्न अधिकारी—							
	(क) श्रेणी "क" ...							
	(ख) श्रेणी "ख" ...							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
	योग							

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)—————— जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्द्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूँ कि आप (**)—————— इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायं।

नियुक्ति प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा पद नाम

(*) यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाए।

(**) यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाए (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)—————————— (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनांक—————— के क्रम में (**)—————— जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तथा पद नाम

(*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)—————— जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर श्री (**)—————————— आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि श्री (**)—————— इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद नाम

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

(**) कर्मचारी का नाम

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश के प्रालेख जिसके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथा संशोधित, फाइनेन्शियल हैन्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (*)——————— इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये यथावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)——————— (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस, दिनांक——————— के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

नोटिस की पूर्ण अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये यथावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री (*)——————— इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 15 जून, 2002

विषयः सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 131/का-2/2002 दिनांक 20 फरवरी, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के खण्ड "ख" के उपखण्ड- "अ" के बिन्दु-3 में "मुख्य सचिव" अंकित है, के स्थान पर "मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी" पढ़ा जाये ।

2. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

भवदीय,

ह० सुरेन्द्र सिंह रावत ह०
अपर सचिव ।